रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2007/फाल्गुन 24, 1928

No. 74] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2007/PHALGUNA 24, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2007

प्रारंभिक जांच परिणाम (निर्णायक समीक्षा)

विषय : ताईवान और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेन्टायरिथ्रिटोल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

सं. 15/7/2006-डीजीएडी.—यत: 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने ताईवान, कनाडा और जापान (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेन्टायरिथ्रिटोल (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 8-10-2002 की अधिसूचना सं. 48/1/2001-डीजीएडी द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम को अधिसूचित किया था ।

और यत: दिनांक 31-10-2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 119/2002-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद पेन्टायरिथ्रिटोल है । पेन्टायरिथ्रिटोल का उपयोग एल्किड रेजिन ईस्टर्स, प्लास्टिसाइजर्स, छपाई की स्याही, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक्स हेतु स्टेबलाइजर्स, परिष्कृत शुष्कन तेल, डिटोनेटर्स, विस्फोटक, भेषज, कोर तेल एवं कृत्रिम ल्यूब्रिकेंट्स के निर्माण में किया जाता है ।

पेन्टायरिथ्रिटोल को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के उप-शीर्ष 2905.42 के तहत वर्गीकृत किया गया है । तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित वस्तु, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु के "समान वस्तु" है ।

3. जांच की शुरुआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाई गई पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जानी अपेक्षित है । कनोरिया केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि. ने ताईवान और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की आवश्यकता का प्रमाण देते हुए एक याचिका दायर की है और ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं के तहत संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को आगे और 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है । मै. परस्टॉप केमिकल्स इंडिया (प्रा.) लि. ने याचिका का समर्थन किया है । प्राधिकारी का मानना है कि यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9(क)(5) के प्रावधानों और इसके नियमों के तहत इस स्तर पर सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करना उचित होगा ।

4. शामिल देश

वर्तमान समीक्षा में शामिल देश ताईवान और जापान हैं । पूर्व में कनाडा के विरुद्ध भी याचिका दायर की गई थी । तथापि, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर कि वे इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि कनाडा अब भी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है अथवा नहीं, तदनन्तर में अपनी याचिका वापस ले ली थी । अत: प्राधिकारी ने केवल ताईवान एवं जापान के विरुद्ध वर्तमान निर्णायक समीक्षा शुरू की है ।

5. क्रियाविधि

दिनांक 8-10-2002 की अधिसूचना सं. 48/1/2001 द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम तथा दिनांक 31-10-2002 की अधिसूचना सं. 119/2002-सीमाशुल्क द्वारा लगाए गए अंतिम शुल्क की समीक्षा हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होकर, प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार इस बात की समीक्षा करने के लिए जांच शुरू करते हैं कि ताईवान एवं जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेन्टायरिथ्रिटोल के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के समाप्त कर दिए जाने से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं ।

समीक्षा में दिनांक 8-10-2002 की अधसूचना सं. 48/1/2001-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है । मै. कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. ने मूल जांच में घरेलू उद्योग की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमों के अनुसार मै. कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. तथा मै. परस्टॉप केमिकल्स इंडिया (प्रा.) लि. को घरेलू उद्योग मानने का प्रस्ताव किया है ।

6. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2006 (18 महीनें) तक की है । तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा जांच अवधि तक की अवधि शामिल होगी ।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित पद्धति में प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी),
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है ।

8. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई भी अनुरोध लिखित रूप में दिया जाए जो उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त पाटनरोधी नियमों के अनुसार, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं ।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकरों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सरकारी फाइल का निरीक्षण कर सकता है । यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2007

Initiation Notification (Sunset Review)

Subject : Initiation of Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on imports of Pentaerythritol originating in or exported from Taiwan and Japan.

No. 15/7/2006-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules), *vide* notification number 48/1/2001-DGAD dated 8-10-2002, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of Pentaerythritol (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Taiwan, Canada and Japan (hereinafter referred to as subject countries).

And whereas definitive anti-dumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 119/2002-Customs dated 31-10-2002.

2. Product Under Consideration

The product under consideration is Pentaerythritol. Pentaerythritol finds application in manufacture of Alkyd Resin, Rosin Esters, Plasticizers, Printing Inks, Synthetic Rubber, Stabilizers for Plastics, Modified drying oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, Core oils and Synthetic Lubricants.

Pentaerythritol is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the sub-heading 2905.42. The customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

The goods manufactured by the domestic industry are 'like articles' to the goods imported from the subject country within the meaning of Rule 2(d).

3. Initiation

The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. Kanoria Chemicals & Industries Limited has filed an application substantiating the need for sunset review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Taiwan and Japan and have requested for continuation and enhancement of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications for a further period of five years. M/s. Perstorp Chemicals India (Pvt.) Ltd. has supported the petition. Authority considers that the sunset review of the anti-dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provisions of Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended and the rules made there under.

4. Countries Involved

The countries involved in the present review are Taiwan and Japan. Petition was initially filed against Canada also. However, the petitioner subsequently withdrew petition against Canada stating that they are not sure whether Canada continues to produce subject goods. The Authority therefore initiates the present sunset review only against Taiwan and Japan.

5. Procedure

Having satisfied on the basis of evidence submitted by petitioner for review of the final findings notified *vide* No. 48/1/2001-DGAD dated 8-10-2002 and final duty imposed by Notification No. 119/2002-Customs dated 31-10-2002, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of anti-dumping duty on imports of Pentaerythritol originating in or exported from Taiwan and Japan is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to domestic industry in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and AD Rules.

The review covers all aspects of Notification No. 48/1/2001-DGAD dated 8-10-2002. M/s. Kanoria Chemicals & Industries Limited had represented on behalf of the domestic industry in the original investigations. The Authority proposes to consider M/s. Kanoria Chemicals & Industries Limited and M/s. Perstorp Chemicals India (Pvt.) Ltd. as domestic industry in accordance with the Rules supra.

6. Period of Investigation

The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2005 to 30th September, 2006 (18 months). However, injury analysis shall cover the years 2002-03, 2003-04, 2004-05 and POI.

7. Submission of Information

The exporters in subject countries, their government through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the :

The Designated Authority,
Ministry of Commerce and Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhawan,
New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

9. Inspection of Public File

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.